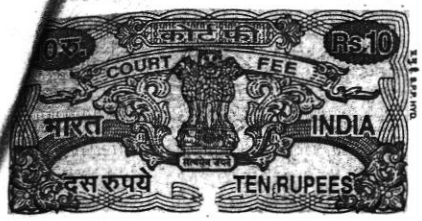

||श्री||

Revision R-4027-II/13
पुनरीक्षण प्रकरण नम्बर /13

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालय मे

कान्ताबाई पति हेमगीर जाति गोसाई
आयु 55 साल, व्यवसाय- गृहकार्य
निवासी- इन्दौर ---------- अपीलार्थी प्रार्थी
(प्रत्यर्थी क्र-01)

वि0

(1) गीताबाई पति हेमगीर जाति गोसाई

(2) कमल पिता हेमगीर

(3) मुकेश पिता हेमगीर
सभी निवासी ग्राम अटावदा तह हातोद
जिलाइन्दौर

(4) शिवकन्या पिताहेमगीर पति नुतन गीर
निवासी ग्राम कायथा तहसील तराना
जिला उज्जैन

(5) दुलेसिंह पिता माधवसिंगराजपुत
निवासी पितावली तह हातोद
जिलाइन्दौर ---------- प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता के तहत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4027–दो/13 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–12–2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 11–9–2013 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका पर विधिवत नोटिस की तामीली कराये बगैर अवैधानिक रूप से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है, उसे निरस्त किया जाकर आवेदिका के विरूद्ध दिनांक 13–3–2013 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही भी निरस्त किया जाये । इस संबंध में अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–2–2013 का सूचना पत्र चस्पीदगी से तामील करने हेतु जारी किया गया, जो कि विधिवत तामील हुआ है । उक्त पेशी पर आवेदिका के अनुपस्थित होने पर पुनः दिनांक 26–2–2013 की पेशी की सूचना पत्र आवेदिका को जारी किया गया है, जो कि आवेदिका द्वारा प्राप्त किया गया है, और प्राप्त करने का अंगूठा निशानी सूचना पत्र में लगा है । अतः आवेदिका का यह आधार उचित नहीं है कि अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 5 दुलेसिंह को विकय किए जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व नहीं रह गया है, और न ही उसका हित निहित है, ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई न्यायोचित नहीं है । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3932–दो/13 में दिनांक 4–12–2014 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जा चुका है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	